न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 20/2022
CMS NO. : 2022/50

–: प्रार्थीगण:–	बनाम	–: अप्रार्थी :–
1. गजेसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 2. चन्द्रकंवर पत्नी भंवरसिंह 3. पूरणकंवर पत्नी महिपाल सिंह 4. भूपेन्द्रसिंह पुत्र महिपाल सिंह 5. हर्षवर्धन सिंह पुत्र महिपाल सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता पूरणकंवर पत्नी महिपालसिंह 6. कैलाशकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह 7. लोकेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह 8. शिवराजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कैलाशकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह सभी जातियान राजपुत, निवासीगण– लौटोती, तहसील जैतारण जिला पाली।		1. मेघसिंह पुत्र नारायणसिंह 2. कानसिंह पुत्र धनसिंह 3. छतरसिंह पुत्र धनसिंह फौत के कायम मुकाम 3/1. ईश्वरसिंह पुत्र छतरसिंह 3/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र छतरसिंह सभी जातियान– राजपूत, निवासीगण– लौटोती, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0) 4. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील– जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 10/02/2022

उपस्थित:– 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, श्री समीर ख़ान, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति खसरा नम्बर 857 रकबा 1.1655 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में स[illegible]कारान् अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ [illegible] नकल जमाबन्दी वर्तमान प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग [illegible] जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज वचनसिंह वल्द माधूसिंह के नाम इन्द्राज थी और उनके फौत होने के पश्चात् उनके वारिसान के नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित किया गया जिसका अंकन सम्वत् 2028 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

031 की जमाबन्दी में है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही दादा परदादा की तान है। प्रस्तुत वंशावली के अनुसार वचनसिंह जी के तीन वारिस थे क्रमशः नसिंह, नारायणसिंह व उम्मेदसिंह तथा वचनसिंह जी के फौत होने के पश्चात् तेदगी म्युटेशन इन तीनों व्यक्तियों के नाम पारित किया और तीनों के नाम माबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में इन्द्राज है तथा उसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035की जमाबन्दी में भी वचनसिंह जी के तीनों वारिसान के नाम जमाबन्दी में इन्द्राज है परन्तु आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में तत्कालिन आर आई व पटवारी ने उम्मेदसिंह का नाम त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करना छोड़ दिया जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है और प्रार्थीगण उम्मेदसिंह जी के वारिसान है इसलिये प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से लगायत वर्तमान तक की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी जिसमें वचनसिंह जी के फौत होने के पश्चात् उनके तीनों वारिसान धनसिंह नारायणसिंह व उम्मेदसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार इन्द्राज हुआ जो सम्वत् 2028 से 2035 तक की जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु आगामी जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि की वजह दर्ज होना रह गया लेकिन मौके पर कब्जा उम्मेदसिंह जी का उस समय 1/3 हिस्से पर था और उनके फौत होने के पश्चात् 1/3 हिस्से पर उनके वारिसान का कब्जा काश्त है। उम्मेदसिंह जी जो कि अनपढ़ थे और उन्होने कभी राजस्व रेकर्ड की जांच नही की और उनके पश्चात् उम्मेदसिंह जी फौत हो गये तब उनके वारिसान ने भी राजस्व रेकर्ड का इन्द्राज नहीं देखा क्योकि मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का हिस्से अनुसार कब्जा था। इस कारण से उन्होंने कभी राजस्व रेकर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.02.2022 को जब राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब उन्हें प्रार्थनापत्र में अंकित खसरे में नाम इन्द्राज नहीं होने की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड सम्वत् 2028 से वर्तमान तक का प्राप्त किया तो उन्हे जानकारी हुई कि स्वर्गीय उम्मेदसिंह का नाम सम्वत् 2028 से 2035 तक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था और बाद मे तत्कालिन आर आई व पटवाई ने लिपिकीय त्रुटिवश भूल से उम्मेदसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करना छोड़ दिया और वह त्रुटि आज दिन तक चली आ रही है। अतः प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थनापत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी सरहद मौजा लौटोती में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का होने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 3/2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

या। प्रतिवादी संख्या 02 व 3/1 तथा 3/2 की ओर से जवाबदावा पेश कर कथन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 857 रकबा 1.1655 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल जवाब देहन्दा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज उम्मेदसिंह का कभी कोई कब्जा काश्त न तो था न ही वर्तमान में है सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा व हित निहित नही है। वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार जवाब देहन्दा के साथ साथ अप्रार्थीगण ही है प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। इस पद में प्रार्थीगण द्वारा जो वंश वृक्षावली दर्शायी है वह अपूर्ण है। छतरसिह के सभी वारिसान उत्तराधिकारी को वंशावली में नही दर्शाया है जबकि छतरसिंह की पुत्रियां भंवरकंवर, रतनकंवर एवं पत्नी अनिताकंवर आज भी जीवित है तथा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है व मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण जानबुझकर सही तथ्यो को छुपाकर न्यायालय में क्लीन हैण्डस से नही आये है इसलिए इस आधार से भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेबल नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है किं विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि फौतेदगी म्युटेशन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नही होता है तो उसके लिए सक्षम राजस्व वाद ही दायर किया जा सकता है उसके लिए धारा 136 भू राजस्व अधिनियम जो किम एक समरी कार्यवाही है के प्रावधान लागू नही होते है इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने पहले अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाकर अपना नाम जरिए फौतेदगी म्युटेशन इन्द्राज करवाना चाहा है जो विधिविरूद्ध है इसलिए मूल वाद के अभाव में केवल मात्र धारा 136 का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेबल नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज उम्मेदसिंह का कोई कब्जा काश्त नही था बल्कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड काबित खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण ही है व मौके पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कब्जा प्राप्ति का कोई वाद दायर नही किया इसलिए कब्ज प्राप्ति के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे। उम्मेदसिंह अनपढ व्यक्ति नही थे बल्कि कानून के जानकार थे ओर अपने जीवनकाल में उपसरपंच पद पर पदस्थापित रहे है उन्होने अपने जीवनकाल में कभी भी वादग्रस्त आराजी बाबत् कोई कार्यवाही नही की क्योकि वह भली भांति जानते थे कि उनका कोई हक अधिकार नही है व न ही उनका मौके पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा है प्रार्थीगण की नियतबद्ध हो गयी और अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने के लिए गलत झूठे बेबूनियाद तथ्यो का समावेश कर यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] प्रार्थीगण अपने दादा परदादा का नाम इस प्रार्थना पत्र के जरिए [illegible] रेकर्ड में इन्द्राज नही करवा सकते है उसके लिए सक्षम वाद [illegible] करना चाहिए था जो प्रार्थीगण ने जानबूझकर घोषणा का वाद दायर नही कर यह संक्षिप्त कार्यवाही धारा 136 आर एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन पोषणीय नही होने से काबिल खारिज के है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के दादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

दादा उम्मेदसिंह का नाम इन्द्राज नही है इसकी जानकारी शुरू से ही प्रार्थीगण को व उम्मेदसिंह को अपने जीवनकाल में जानकारी थी लेकिन उम्मेदसिंह को यह ली भांति जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी मे उनका नाम राजस्व रेकर्ड में न्द्राज नही है जबकि वो उपसरपंच रह चुके थे फिर भी उन्होने अपने जीवनकाल में स संबंध में कोई कार्यवाही नही की क्योकि उम्मेदसिंह जी को भलीभांति जानकारी ो कि वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हक अधिकार नही है व न ही उनका कब्जा ाश्त है। वर्तमान में प्रार्थीगण की नियत खराब होने और अप्रार्थीगण के हक हिस्से । अधिकार की कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह निराधार प्रार्थना त्र पेश किया जो किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से काबिल खारिज के है। ार्थीगण ने घोषणा का मूल वाद प्रस्तुत नही कर यह संक्षिप्त कार्यवाही धारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण ने जिस वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसके रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार भंवरकंवर पत्नी छतरसिंह जाति राजपूत निरवासी लौटोती, अनिताकंवर पुत्री छतरसिंह जाति राजपूत निवासी बालोतरा, मानकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी जोधपुर व रतनकंवर पुत्री छतरसिंह राजपूत निवासी भीलवाड़ा को पक्षकार नही बनाया है जबकि कानूनन उक्त सभी इस प्रकरण में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार है इसलिए आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने से खारिज फरमावे। प्रार्थीगण ने जानबूझकर सही व वास्तविक तथ्यो को न्यायालय से छुपाकर न्यायालय में क्लीन हैण्डस नही आये है प्रार्थीगण के दादा परदादा उम्मेदसिंह अनपढ व्यक्ति नही थे और अपने जीवनकाल में उपसरपंच भी रह चुके थे और प्रार्थीगण व उनके पूर्वज उम्मेदसिंह को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में नाम नही है इस बात की जानकारी शुरू से होते हुए भी कोई कार्यवाही नही की और लम्बे समय पश्चात गलत व झूठे तथ्यो का उल्लेख कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं आवश्यक व प्रोपर पक्षकार को पक्षकार नही बनाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीन हैण्डस नही आने के कारण कानूनन कोई भी दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अप्रार्थीगण संख्या 04 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम लौटोती में खसरा संख्या 857 रकबा 1.1655 हैक्टर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। उपरोक्त वर्णित आराजी वक्त सेट्लमेंट में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज बचनसिंह पुत्र माधुसिंह के नाम दर्ज थी तथा उनके फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम जरिए फौतेदगी म्युटेशन इन्द्राज किया गया। उक्त फौतेदगी नामान्तरण [illegible]सिंह के तीन पुत्र क्रमशः धनसिंह, नारायणसिंह व उम्मेदसिंह के [illegible] बचनसिंह फौत होने के पश्चात उनके तीनो पुत्रो के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जो जमाबंदी संवत् 2028 से 2035 में दर्ज है लेकिन जमाबंदी संवत 2036 से 2039 तैयार करते समय भूलवश उम्मेदसिंह का नाम इन्द्राज नही किया गया है। अन्य बिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ननीय न्यायालय से संबंधित है। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील उभयपक्ष की नी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय स्तावेजात का गंहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर ौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार :—

. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण ग्राम लौटोती में स्थित आराजी खसरा संख्या 857 रकबा 1.1655 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति में अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज वचनसिंह वल्द माधुसिंह के नाम इन्द्राज थी। वचनसिंह के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम फौतेदगी म्युटेशन वचनसिंह के वारिसान धनसिंह, नारायणसिंह व उम्मदेसिंह के नाम पारित किया गया, जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 में है। परन्तु जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 बनाते समय त्रुटिवश तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो ने उम्मेदसिंह का नाम इन्द्राज करना छोड़ दिया, जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है। प्रार्थीगण उम्मेदसिंह के वारिसान है तथा मौके पर अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्से में दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 01 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 तथा 3/1 से 3/2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जवाबदेहन्दा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज उम्मेदसिंह का कभी कोई कब्जा काश्त न तो था न ही वर्तमान में है। वादग्रस्त कृषि भूमि में सभी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकारो को पक्षकार नही बनाया है जो कि इस प्रकरण में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार है तथा प्रार्थी इस प्रकरण के द्वारा अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाकर अपना नाम जरिए फौतेदगी म्युटेशन इन्द्राज करवाना चाहता है जो कि विधि विरूद्ध है क्योकि विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि फौतेदगी म्युटेशन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नही होता है तथा मूल राजस्व वाद के अभाव में धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम जो कि सरसरी कार्यवाही है के प्रावधान लागु नही होते है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज फरमावे।

3. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम लौटोती के खसरा संख्या 857 रकबा 1.1655 हैक्टर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। उपरोक्त वर्णित आराजी वक्त सेटलमेंट में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज बचनसिंह पुत्र माधुसिंह के नाम दर्ज थी तथा उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

त होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम जरिए फौतेदगी नामान्तरण क्रमशः सिंह, नारायणसिंह व उम्मेदसिंह का नाम इन्द्राज किया गया। बचनसिंह के तीनो रिसानो का नाम जमाबंदी संवत् 2028 से 2035 में दर्ज है लेकिन जमाबंदी वत् 2036 से 2039 तैयार करते समय भूलवश उम्मेदसिंह का नाम इन्द्राज नही किया गया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम लौटोती तहसील जैतारण की जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में वादग्रस्त आराजी के खातेदार के रूप में धनसिंह, नारायणसिंह, उम्मेदसिंह पिसरान् बचनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है, जबकि आगामी जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में वादग्रस्त आराजी में धनसिंह, नारायणसिंह पिसरान् बचनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना किसी नामान्तरण की कार्यवाही किए जमाबंदी चौसाला संवत् 2036 से 2039 तहरीर करते समय वादग्रस्त आराजी के खातेदारान् में से खातेदार उम्मेदसिंह का नाम सहवन से दर्ज करने से छूट गया जबकि इनके भाई धनसिंह व नारायणसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया जो कि अभिलेखीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। जो कि आगामी जमाबंदी चौसाला तहरीर करते समय पिछले जमाबंदी चौसाला की समस्त प्रविष्ठियो को बिना किसी परिवर्तन के आगामी जमाबंदी में इन्द्राजात किया जाना आवश्यक होता है। जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 एवं आगामी जमाबंदियो में भी यह त्रुटि बदस्तुर जारी रही। ग्राम लौटोती की वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2077 से 2080 में भी यह त्रुटि बदस्तुर जारी है। वर्तमान जमाबंदी में धनसिंह व नारायणसिंह के वारिसान बतौर खातेदार दर्ज है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम लौटोती की जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज धनसिंह, नारायणसिंह व उम्मदेसिंह पिसरान् बचनसिंह का नाम हुबहु आगामी जमाबंदी चौसाला संवत् 2036 से 2039 में दर्ज नही किया जाकर खातेदार उम्मेदसिंह का नाम छोड़ दिया गया तथा केवल धनसिंह व नारायणसिंह का नाम दर्ज किया गया, जो कि एक अभिलेखीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। तथा कालान्तर में आगामी समस्त जमाबंदी चौसाला में उक्त अभिलेखीय त्रुटि बदस्तुर जारी रही, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं विधिसंगत है। प्रार्थीगण जो कि मृतक खातेदार उम्मेदसिंह के वारिसान है, तथा उम्मेदसिंह का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित था, शेष 1/3 धनसिंह व 1/3 नारायणसिंह का हिस्सा था। वर्तमान में धनसिंह व नारायणसिंह के वारिसान के नाम 1/2 व 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम लौटोती वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 857 रकबा 1.1655 हैक्टर किस्म बारानी अवल में भू अभिलेखीय त्रुटि से पूर्व की अभिलेखीय स्थिति जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में दर्ज प्रविष्टियो के अनुरूप प्रार्थीगण के पूर्वज एवं मृतक खातेदार उम्मेदसिंह पुत्र बचनसिंह हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना, 1/3 हिस्से में नारायणसिंह के वारिसान तथा शेष 1/3 हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

छतरसिंह के वारिसान को रखा जाकर भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाना तथा तहसीलदार जैतारण को मृतक खातेदार उम्मेदसिंह के विधिक वारिसान की जांच करते हुए नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 857 रकबा 1.1655 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि के भू अभिलेख में जमाबंदी चौसाला संवत् 2036 से 2039 तहरीर करते समय हुई त्रुटि को दूर करते हुए जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में दर्ज प्रविष्ठियो कें अनुरूप प्रार्थीगण के पूर्वज एंवं मृतक खातेदार उम्मेदसिंह पुत्र बचनसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपुत सा. देह खातेदार दर्ज किया जाता है, तथा इसके फलस्वरूप शेष खातेदारान् का हिस्सा शुद्ध करते हुए खातेदार नारायणसिंह के वारिसान का हिस्सा 1/3 एवं खातेदार छतरसिंह के वारिसान का हिस्सा 1/3 दर्ज करते हुए इन्हे इनके वारिसान में आनुपातिक रूप से विभाजित किया जावे। तहसीलदार जैतारण उपर्युक्त शुद्धि उपरान्त मृतक खातेदार उम्मेदसिंह पुत्र बचनसिंह के विधिक वारिसान की जांच करते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुए इसी मुताबिक भू अभिलेख को अद्यतन व परिशुद्ध करे। पत्रावली इसी क्रम पर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested